


तारीख  
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुक्म की तामील  
में जारी हुए

चिरहु लक्ष्मीय कार्रवाही की जाती है।  
आदेशिका जिनके 26/7/2023 के अनुसार  
भूतक प्रति 105 के को. पु को रेकॉर्ड पर  
लिखा गया था जिनकी तलबी पूर्ण होने पर  
अनुपालन रहे के आदेशिका जिनके 22/1/24  
को उनके चिरहु लक्ष्मीय कार्रवाही की गयी  
अर्थात् रु 10 प्राप्ती पराप्त होने से उनके  
जवाब की आवश्यकता नहीं रहे के जवाब  
प्राप्ती पराप्त रहे किमा जाया है वकील प्रार्थी  
वकील कहल हेतु नकार हुए। कहल  
वकील प्रार्थी रुनी गई। पत्रावली वारने  
आदेश रुनाने आदेश जिनके 21/3/25  
को पेश हो

  
पर्याय सहायक कलेक्टर  
(फास्ट ट्रेक), जोधपुर

21/3/25 पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उप.  
वाड-पत्र, दस्तावेज पत्रावली मय प्रार्थी परा  
अन्तर्गत धारा 212, राजस्थान करतकारी  
अधिनियम, 1955 मय दस्तावेजों का गहनता  
से अध्ययन, अवलोकन किमा जाया। राजग  
विधि के प्रवधानों का अध्ययन किमा जाया  
तथा वकील प्रार्थी की कहल पर पत्र  
किमा जाया। उपर्युक्त विवेचन के आधार  
पर अर्थात् निवेधानों के नीचे आधारित  
विधि प्रार्थी जिनके पत्र में स्थापित होने  
से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212  
RTA, 1955 कक्ष की स्थापित होने व

नम्बर २  
अक्टूबर २०००  
दुसरे दिन  
२०००

तारीख  
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

स्वीकार होने के आंशिक रूप से स्वीकार  
किन्ना जाना उचित समझते हैं।

अतः प्राथमिकता का प्राप्ति का  
अन्तर्गत धारा 212 RTA, 1957 आंशिक  
रूप से स्वीकार किन्ना जाता है। अर्थात्  
निष्पेक्षाता नार्कलला मूल काइ इल  
आशय की जाती की जाती है डि  
प्रतिवादी सं। से 10 वाइग्रस्त आवाजी का  
रहन, बैचान व हस्तांतरण न ले स्वयं  
करे व न किसी ओर से करीब प्रभावली  
फैलल शुमार होकर नकर के कम  
होकर डाकिल उफर हो। विस्तृत  
क्रिया पृथक से लिखवाया जाकर  
शाहित पत्रावली किन्ना जाया। पत्रावली  
फैलल शुमार होकर नकर के कम हो



चक्रवर्त कलक्टर  
जयपुर